रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2001/ज्येष्ठ 24, 1923

No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2001/JYAISTHA 24, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2001

का. आ. 518(अ).— अब केन्द्रीय सरकार ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 की धारा 25(ख) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19(ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का आ. 1703 दिनांक 17-07-2000 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 29-07-2000 में यह प्रकाशित कराया कि वह एक अधिकरण गठित करती है जिसमें एक व्यक्ति, श्री एस. के. टुटेजा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, 7वीं मंजिल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, होंगे और कथित अधिकरण को मै. सूरज ग्रामोदय समिति, 5-त्यागी मार्किट, रुड़की रोड, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश पर बकाया को कथित अधिनियम की धारा 19(ख) की उपधारा (i) के अर्थान्तर्गत उक्त आयोग को शोध्यों के संदाय के विवादित प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया।

अधिकरण को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करना था किन्तु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के पश्चात् नहीं। केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि अधिकरण कार्य पूरा करने हेतु अधिक समय चाहता है।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार ने अधिकरण द्वारा रिपोर्ट सुपुर्द करने की समय सीमा को 28-10-2000 से आगे, 31-07-2001 तक और समेत, बढ़ाने का निर्णय लिया है।

[फा. सं. सी- 18019 /2/ 99- के वी आई]

शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2001

S.O. 518(E).— **WHEREAS, in exercise of the powers conferred by Section 19(B) of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 25-B of the Khadi and Village Industries Commission's Rules,1957, the Central Government vide notification No. S.O. 1703 dated 17.07.2000, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on 29.07.2000, constituting a Tribunal consisting of one person, namely Shri S.K. Tuteja, Development Commissioner, Small Scale Industries, 7th Floor, Nirman Bhawan, New Delhi – 110 011, and referred the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues owned by M/s Suraj Gramodaya Samiti, 5, Tyagi Market, Roorkee Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh to the Commission within the meaning of sub-section (i) of Section 19B of the said Act.**

WHEREAS, the Tribunal was to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 90 days from the date of publication of the aforesaid notification in the Official Gazette. The Central Government is satisfied that the Tribunal requires more time to complete the job.

NOW, THEREFORE, the Central Government has decided to extend the time limit of the Tribunal beyond 28.10.2000 upto and inclusive of 31.07.2001 to submit its report.

[F. No. C-18019/2/99-KVI]
SHANKAR AGGARWAL, Jt Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2001

का. आ. 519(अ).—अब केन्द्रीय सरकार ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के 25(ख) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19 (ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 2027 दिनांक 28.08.2000 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, भाग-II, अनुभाग 3, उप अनुभाग (ii) दिनांक 16.09.2000 में यह प्रकाशित कराया कि वह एक अधिकरण गठित करती हैं जिसमें एक व्यक्ति, श्री एस.के. टुटेजा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, 7 वीं मंजिल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, होंगे और कथित अधिकरण को मै. सहकारी खुकरी निर्माण औद्योगिक समिति लि., देहरादून पर बकाया को कथित अधिनियम की धारा 19 (ख) की उप धारा (i) के अर्थान्तर्गत उक्त आयोग को शोध्यों के संदाय के विवादित प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया ।

अधिकरण को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करना था किन्तु इस अधिसूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के पश्चात नहीं । केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि अधिकरण कार्य पूरा करने हेतु अधिक समय चाहता है ।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार ने अधिकरण द्वारा रिपोर्ट सुपुर्द करने की समय सीमा को 15.12.2000 से आगे, 31.07.2001 तक और समेत, बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

[फा. सं. सी-18019/9/99-के वी आई-i]
शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2001

S.O. 519(E).—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by Section 19(B) of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 25-B of the Khadi and Village Industries Commission's Rules, 1957, the Central Government vide notification No. S.O. 2027 dated 28.8.2000, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on 16.9.2000, constituting a Tribunal consisting of one person, namely Shri S.K. Tuteja, Development Commissioner, Small Scale Industries, 7th Floor, Nirman Bhawan, New Delhi – 110 011, and referred the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues owned by M/s. Sahakari Khukri Nirman Audyogik Samiti Ltd., Dehradun to Khadi and Village Industries Commission within the meaning of sub-section (i) of Section 19B of the said Act.

WHEREAS, the Tribunal was to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 90 days from the date of publication of the aforesaid notification in the Official Gazette. The Central Government is satisfied that the Tribunal requires more time to complete the job.

NOW, THEREFORE, the Central Government has decided to extend the time limit of the Tribunal beyond 15.12.2000 upto and inclusive of 31.07.2001 to submit its report.

[F. No. C-18019/9/99-KVI-i]
SHANKAR AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2001

का. आ. 520(अ).—अब केन्द्रीय सरकार ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के 25(ख) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19 (ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 2028 दिनांक 28.08.2000 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, भाग-II, अनुभाग 3, उप अनुभाग (ii) दिनांक 16.09.2000 में यह प्रकाशित कराया कि वह एक अधिकरण गठित करती हैं जिसमें एक व्यक्ति, श्री एस.के. टुटेजा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, 7 वीं मंजिल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, होंगे और कथित अधिकरण को मै. खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति माजरा, देहरादून पर बकाया को कथित अधिनियम की धारा 19 (ख) की उप धारा (i) के अर्थान्तर्गत उक्त आयोग को शोध्यों के संदाय के विवादित प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया ।

अधिकरण को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करना था किन्तु इस अधिसूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के पश्चात नहीं । केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि अधिकरण कार्य पूरा करने हेतु अधिक समय चाहता है ।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार ने अधिकरण द्वारा रिपोर्ट सुपुर्द करने की समय सीमा को 15.12.2000 से आगे, 31.07.2001 तक और समेत, बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

[फा. सं. सी-18019/9/99-के वी आई-ii]
शंकर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2001

S.O. 520(E).— WHEREAS, in exercise of the powers conferred by Section 19(B) of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956(61 of 1956) read with rule 25-B of the Khadi and Village Industries Commission's Rules,1957, the Central Government vide notification No. S.O. 2028 dated 28.8.2000, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on 16.9.2000, constituting a Tribunal consisting of one person, namely Shri S.K. Tuteja, Development Commissioner, Small Scale Industries, 7th Floor, Nirman Bhawan, New Delhi – 110 011,and referred the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues owned by M/s. Khadi Gramodyog Sahakari Samiti Mazra, Dehradun to the Commission within the meaning of sub-section (i) of Section 19B of the said Act.

WHEREAS, the Tribunal was to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 90 days from the date of publication of the aforesaid notification in the Official Gazette. The Central Government now is satisfied that the Tribunal requires more time to complete the job.

NOW, THEREFORE, the Central Government has decided to extend the time limit of the Tribunal beyond 15.12.2000 upto and inclusive of 31.07.2001 to submit its report.

[F. No. C-18019/2/99-KVI-ii]
SHANKAR AGGARWAL, Jt. Secy.

18 44 GI/2001-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.